न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 75/2020 एल आर एक्ट (GCMS No 2020/ 00075)
अनवान हरिकिशनदास बनाम राधेश्याम वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– उपखण्ड अधिकारी रतनगढ दिनांक 29.06.1978

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
06.12.2021	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.1978 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करने हेतु पेश कर अपील बिना अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति के ही प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। जिसका जबाव रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 12.04.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपील नकल निर्णय के अभाव में चलने योग्य नही होने से खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 31.08.2021 को जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2021 पेश कर रेस्पोडेन्ट सं.1 के द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान कहा कि भू राजस्व अधिनियम एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट 2 में अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त करने से सम्बन्धित व्यवस्थाए है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्राप्त करने हेतु यथासंभव सभी प्रयास किये है। विभिन्न कार्यालयो व न्यायालयो द्वारा नकल उपलब्ध ना होना जाहिर कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र निरस्त किये है। यदि अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने का स्थान रेस्पोडेन्ट सं. 1 के ध्यान मे हो तो अपीलान्ट और प्रर्यास करने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पूर्वज के पक्ष में पारित हुआ है जिसकी प्रमाणित प्रति रेंस्पोडेन्ट सं. 1 के कब्जे व अधिकार मे होन की पूरी– पूरी संभावना है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपीलान्ट को न्याय से वंचित रखने के उदेश्य से तकनीकी आधार पर अपील को निरस्त करवाना चाहता है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1994 पृष्ठ 317, RRT 2007 (2) पृष्ठ 110, 112,113,114 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। रेस्पोडेन्ट स. 1 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अपील के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.1978 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नही की है जो कि कानूनन पेश करना अति आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया कि निर्णय दिनाक 29.06.1978 की प्रमाणित प्रति पेश करने की छूट प्रदान की जावे, मगर कानून व नियमो मे ऐसा कोई प्रावधान नही है। अतः नकल निर्णय के अभाव में अपील चलने योग्य नही है इसी आधार पर अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1992 पृष्ठ 129–130, RRD 1990 पृष्ठ 457, राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्युल II नियम 30, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया तथा कथन किया है कि रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के पार्ट II के नियम 30 में छूट के प्रावधान नही है। .....लगातार.....	

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हमने अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 29.06.1978 की प्रमाणित प्रति अपील मीमो के साथ प्रस्तुंत नही की गई है इसके अतिरिक्त अपील प्रस्तुति दिनांक 03.03.2020 से आज तक अनेक अवसर प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु दिये जा चुके है। परन्तु अपीलान्ट का कथन है कि प्रमाणित प्रति हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र रिकोर्ड उपलब्ध नही होने के आधार पर खारिज किये जा चुके है, रिकोर्ड उपलब्ध नही हो रहा है जबकि रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के नियम 30 में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक शर्त है जिसमे किसी प्रकार की छूट के प्रावधान नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण पर हुबहु चस्पा नही होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अपीलान्ट बाबत अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की छुट को खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील मूल/ प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक 29.06.1978 अपील के साथ अथवा अपीलान्ट को दिये गये प्रर्याप्त अवसर के बाद भी अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही करने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर